न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00396

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
इन्दरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी झुपेलाव तहसील सोजत हाल गांधीधाम गुजरात		1. पारस कंवर पत्नी गंगासिंह निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/05/2025

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 36/1984, संकल्प संख्या 13(4) दिनां 15.10.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी पारस कंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 162 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 36/1984 के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में सार्वजनिक भूमि का 109580 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे पर क्षेत्रफल 89,380 अंकित है जो कि गलत है जबकि उक्त भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 109580 वर्गफीट आता है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जो आवेदन पेश किया गया उसमें जैर निगरानी आराजी पर उनका 40 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुये वर्ष 1983 में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जबकि अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा 40 वर्ष पुराना नहीं था। अप्रार्थी के पति गंगासिंह वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत के सरपंच थे तथा उनके द्वारा ही अप्रार्थी के नाम से आवेदन पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्ट जारी करवाया जबकि पंचायत नियमों के तहत सरपंच पद रहते हुये अपने अथवा अपनी पत्नी के पक्ष में पट्टा जारी नहीं करवा सकता है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये सार्वजनिक भूमि का लगभग 109580 वर्गफीट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ 730,

अति. जिला कलक्टर पाली (राज.)

2005(2) DNJ 963, 2002(1) RRT 63] 1996 DNJ 413] 2004(1) RLR 237, 2003(1) RRT 136, 1995 DNJ 458, 2015(1) DNJ 443, 2013(1) RRT 433 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम झुपेलाव में अप्रार्थी संख्या 1 की पट्टा सुदा, कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसका पट्टा बनाने हेतु उनके द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन दिनांक 15.07.1984 को किया गया, जिसके क्रम में ग्राम पंचायत ने तीन पंचों को मनोनीत कर मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया। इसके पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया परन्तु किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। ग्राम पंचायत ने नियम 266(1) के तहत भूमि का मूल्य 500/– रूपये तय किया जाकर प्रचलित बाजार मूल्य का 1/6 हिस्सा यानि 85 रूपये वसूल कर जमा करवाये गये, जिस पर ग्राम पंचायत पंचायतीराज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो कि म्याद के आधार पर भी खारिज योग्य है। प्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर न तो कोइ हक हिस्सा है और न ही कोई कब्जा है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें राजीनामा करने एवं अप्रार्थी को हेरान व परेशान करने की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियम, 1961 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने नियमानुसार कार्रवाई करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 36/1984, संकल्प संख्या 13(4) दिनां 15.10.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी पारस कंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 162 के विरूद्ध पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का मूल उद्देश्य किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षण किया जाना है न कि उस भूमि से सम्बन्धित किसी अन्य प्रकरण का। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह भी उज्र था कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 1 के पति सरपंच थे तथा उन्होनें पंचायती राज नियमों के विपरीत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे कि मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रथम आदेशिका में अंकितानुसार "गंगासिंह ने प्रस्तुत अपने कब्जासुदा नौहरा का पट्टा धर्मपत्नी श्रीमती पारसकंवर के नाम करने हेतु पेश की" तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 15.07.1984 में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित है जिसे अन्डरलाईन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

करते हुये अलग से "सरपंच की पत्नी" अंकित किया है, साथ ही अप्रार्थी के पति का नाम गंगासिंह है तथा जैर निगरानी पट्टे पर भी सरपंच के रूप में गंगासिंह के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के पति तत्कालीन समय में सरपंच थे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 21 (8–क) अुनसार, कोइ भी पंच, किसी ऐसे प्रश्न पर, जिस पर पंचायत की बैठक में विकार किया जाने वाला है, मत नहीं देगा या उसमें किये जाने वाले विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, यदि वह विषय ऐसा है जिसमें इसके जनता पर लागु होने के अलावा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कोई धन सम्बन्धी हित रखता हो तथा धारा 21 (8–घ) अनुसार, यदि बैठक में उपस्थित किसी पंच को यह विश्वास हो जाये कि किसी ऐसे प्रश्न में, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है, सरपंच का हित है तो सरपंच, यदि इस आशय का प्रस्ताव लाया जाये, विचार विमर्श के दौरान बैठक से स्वयं अनुपस्थित हो जायेगा। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जिस बैठक के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव लिये गये उन सभी बैठक के प्रस्ताव पर सरपंच के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के पति के हस्ताक्षर है, लिहाजा यह जाहिर है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज के उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLR 2004(1) 237 Manoj kumar vs state of raj & ors. अनुसार Constitution of India, Art. 14-Raj. Panchayat (General) Rules, 1961, R.266-Plots in abadi land were allotted by the Gram panchayat to Up-Sarpanch and his close relatives including appellant (son of Up-Sarpanch) by private negotiations and not by recourse to auction-Held, action of Panchayat was arbitrary and denial of equality-Contention of appellant that there cannot be challenge to patta after 10 years, held, not acceptable since it is a case of gross violation of the rules. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 136 Sampat lal Sethia vs state of Rajasthan & Ors. अनुसार प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों को भूमि आंवटित की–सुसंगत समय पर वह उपसरपंच था–कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार की एवं आवंटन निरस्त किया–पुराने कब्जे का सबूत नहीं–प्रार्थी का युक्तियुक्त दावा नहीं–नियम 266 के उल्लंघन में आवंटन किया–पंचायत ने अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया–कलेक्टर ने अवैधता को सही किया–आदेश उचित एवं न्यायसंगत है एवं पुष्टि की। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पंचायत की बैठक में यदि किसी प्रश्न पर कोई भी पंच धन सम्बन्धी हित रखता हो, वह उस बैठक में भाग नहीं लेगा।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह था कि ग्राम पंचायत ने नियम 266 के तहत अप्रार्थी को 89,380 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के इस उज्र का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियम 266(1) के खण्ड घ के तहत आदेश पारित करते हुए भूमि का मूल्य 500/– तय किया जाकर सर्वसमिति से बाजार मूल्य का 1/6 हिस्सा वसूल किये जाने पर ग्राम पंचायत ने जैर निगरारी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 266 का उद्देश्य निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण का है न

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बडी भूमि का पट्टा जारी करने का, यदि इस प्रकार 89,380 अर्थात् लगभग 5 बीघा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा। जहां तक नियम 266 (घ) का प्रश्न है, के अनुसार जहां किन्हीं व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहा कब्जा 40 वर्ष से अधिका का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 15.10.84 के द्वारा सर्वसम्मति से जैर निगरानी भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया जबकि उन्हें जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर जैर निगरानी पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का पिछले 40 वर्षों से अधिक समय का कब्जा हों। हालांकि 40 वर्ष से अधिक कब्जे का कथन पत्रावली के संलग्न जैर निगरानी पट्टे की मिसल की आदेशिका दिनांक 15.10.1984 में अंकित है परन्तु यह आदेशिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 21 (8–क से घ) में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये आदेशित की गयी, जो सन्देहास्पद होने पर उसमें वर्णित कथनों इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 2005(2) 963 Sharafuddin khan vs Additional Collector, Sawai madhopur & ors. के अनुसार Rajasthan Panchayat (General) Rules, 1961-R.266-Allotment of land-Cancellation of allotment-Piece of land allotted to petitioner on ground of long possession of petitioner on land in dispute-In application filed by petitioner for allotment of land it was nowhere stated that land in dispute is in his possession for last more than 40 years-Gram Panchayat granted "patta" of land in favour of petitioner by private negotiation in exercise of power u/R.266(1)-Panchayat reported that on the land 15-20 trolley stone are lying and around it a kachcha wall is there-Held, Additional collector was justified in holding that grant of patta of land in dispute to petitioner is illegal.

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस पर न तो कोई दिनांक अंकित है और न ही प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया। मिसल की आदेशिका दिनांक 15.07.1984, दिनांक 30.08.84, दिनांक 30.09.84 पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है, केवल मोहर लगी हुई है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 15.07.1984, जो कि प्रथम आदेशिका थी, के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किया जाने के आदेश जारी किये गये, परन्तु प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

सचिव को आदेशित नहीं किया गया तथा प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के नक्शा पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत खरीदी जाने के लिए चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा, जो नहीं करवायी गयी। इसके पश्चात नियम नियम 258 के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 30.09.84 के द्वारा देवीसिंह एवं लाबूराम के बयान लिये जाना अंकित किया गया है परन्तु मिसल के संलग्न बयानफार्म पर न तो बयानकर्ता के हस्ताक्षर है और न ही बयान दिये जाने की तारीख अंकित है साथ ही अंकित बयानों में भी अप्रार्थी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है। बयानों में केवल सरपंच के हस्ताक्षर है तथा एक अन्य बयान खुद अप्रार्थी पारस कंवर का है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है वह एक कॉर्बन कॉपी है तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में न तो कोई रिपोर्ट अंकित है और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 36/1984, संकल्प संख्या 13(4) दिनां 15.10.1984 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी पारस कंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 162 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत चाडवास को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)